(36)

संख्याः 375 /XIII-1/2012–5(17)/2006

प्रेषक,

सतीश चन्द्र बडोनी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि एवं विपणन अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 30 अप्रैल,2012

विषयः–वित्तीय वर्ष 2012–13 के लेखानुदान की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उर्पयुक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश सं0–183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च,2012 एवं सं0–193/XXVII(1)/2012 दिनांक 30 मार्च,2012 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के लेखानुदान (01.04.2012 से 31.04.2012 तक) हेतु कृषि विभाग की सामान्य अधिष्ठान योजनान्तर्गत बचनबद्ध/अबचनबद्ध मदों में आयोजनागत पक्ष में **₹4.65 लाख** (रूपये चार लाख पैंसठ हजार) तथा आयोजनेत्तर पक्ष में **₹2392.32 लाख** (रुपये तेईस करोड़ ब्यानवे लाख बत्तीस हजार मात्र) की धनराशि निम्न विवरण एवं शर्तों के अधीन व्यय करने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(धनराशि हजार रु0 में)

कोड सं0	मानक मद	आयोजनागत पक्ष	आयोजनेत्तर पक्ष
01	वेतन	–	130000
02	मजदूरी	100	33
03	मंहगाई भत्ता	–	88400
04	यात्रा व्यय	–	400
05	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	–	500
06	अन्य भत्ते	–	14333
07	मानदेय	100	17
08	कार्यालय व्यय	33	267
09	विद्युत देय	–	500
10	जलकर/जल प्रभार	–	33
11	लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	33	167
12	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	33	100
13	टेलीफोन पर व्यय	–	133
15	गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	–	433
16	व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	–	2500
17	किराया, उपशुल्क और कर–स्वामित्व	–	333
18	प्रकाशन	–	17
19	विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	–	33
22	आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आदि	–	17
26	मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	33	33
27	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	–	667
29	अनुरक्षण	–	133
42	अन्य व्यय	100	33
44	प्रशिक्षण व्यय	33	17
45	अवकाश यात्रा व्यय	–	17
46	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	–	33
47	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	–	83
	योगः–	465	239232

2–स्वीकृत धनराशि का उपयोग वित्त विभाग के उपरोक्त शासनादेश दिनांक 30 मार्च,2012 में निहित प्राविधानों, वित्तीय नियम संग्रहों, बजट मैनुवल, स्टोर पर्चेज नियमावली/प्रोक्योरमेन्ट रुल्स, 2008 तथा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अर्न्तगत सुनिश्चित किया जायेगा।

3– लेखानुदान के सापेक्ष अधिष्ठान सम्बन्धी अन्य अबचनबद्ध मदों में के सम्बन्ध में वित्त विभाग के उक्त शासनादेश के प्रस्तर–4 में उल्लिखित निर्देशों का पालन करते हुए मितव्ययता का विशेष रुप से ध्यान रखा जाय।

4–बजट मैनुवल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित वाऊचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर व्यय विवरण 10 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0–8 पर आहरण वितरण अधिकारी द्वारा ठीक पूर्व माह की सूचना विभागाध्यक्ष को तथा विभागाध्यक्ष द्वारा 20 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0–13 पर संकलित व्यय विवरण वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

5–उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक में अनुदान सं0–17 के लेखाशीर्षक–2401 फसल कृषि कर्म–00–001–निदेशन तथा प्रशासन–04 कृषि विभाग का सामान्य अधिष्ठान–00–योजना के उपरोक्त आयोजनागत/आयोजनेतर पक्ष की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

6–यह आदेश उक्त सन्दर्भित वित्त विभाग के शा0सं0–183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च,2012 में विहित व्यवस्था के क्रम में www.cts.uk.gov.in से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ट अलोटमेन्ट आई0डी0–S1204170859 (Plan) एवं S1204170860 (Non Plan) के अन्तर्गत तथा वित्त विभाग के शासनादेश सं0 193/XXVII(1)/2012 दिनांक 30 मार्च,2012 दिये गये दिशा निर्देशानुसार जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सतीश चन्द्र बडोनी)
अपर सचिव

संख्याः 375 /XIII-1/2012–5(17)/2006 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार, लेखा परीक्षा, इन्द्रानगर, देहरादून।
3. आयुक्त गढवाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, हल्द्वानी नैनीताल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. वित्त नियन्त्रक, कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय।
8. अपर कृषि निदेशक, पौड़ी/संयुक्त कृषि निदेशक, हल्द्वानी।
9. समस्त मुख्य कृषि अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, कृषि विभाग उत्तराखण्ड।
10. वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
उपसचिव